

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4831 /

जबलपुर, दिनांक 03/07/2024

दो-13-22/20

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.1.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्रीमती ललिताम्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक 27/09/2020 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 233 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रकाश चौधरी माता स्व. श्रीमती ललिताम्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्र. C/4832 /

जबलपुर, दिनांक 03/07/2024

दो-13-22/20

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री प्रकाश चौधरी, कोर्ट अटेंडेन्ट माता स्व. श्रीमती ललिताम्मा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)